न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:—आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 130/2021 | दायर दिनांक 22.12.2021 | निर्णय दिनांक 9.1.9.2024

उनवान

1. जोधा पिता सवाईराम जाट निवासी सबलपुरा तहसील व जिला भीलवाडा

— वादी

बनाम

1. शंकरलाल पिता रामसुख जाट निवासी सबलपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. वादी अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित।
2. विपक्षी सं. 01 उपस्थित नहीं।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाया जाने कृषि आराजियात व स्थाई निषेधाज्ञा

वादी अपना वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि वादी के स्वामित्व एवं खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि वाके ग्राम सबलपुरा प0ह0 हलेड तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी नम्बर 337/269 रकबा 0.3541 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि वादी के खातेदारी अधिकार एवं स्वामित्व की है, जिसका उपयोग —उपभोग वादी द्वारा वर्षो से किया जा रहा है लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 जो कि वादी की उक्त आराजियात का पडौसी काश्तकार है जिनकी नियत में वादी की भूमि को हडपने के आशय से लडाई—झगडा करते हुऐ वादी की भूमि के उत्तर—पूर्व दिशा की और लगभग 0.1134 हैक्टेयर (09 बिस्वा) पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया व छपरा बना कर गाय, भैस बांधने लग गया है जिसको हटाने के लिए वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार निवेदन किया किन्तु प्रतिवादीगण इसके लिए तैयार नहीं हुआ व कहा कि यह भूमि तो मेरी है जिससे वादी की और से प्रतिवादी के विरूद्ध पुलिस थाना मंगरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई, फिर भी उक्त भूमि से कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ है इसिलए अवैध कब्जा व अतिक्रमण को हटाया जाने हेतु वादी की और से प्रतिवादीगण के विरूद्ध कब्जा दिलाया जाने कृषि आराजियात का यह वाद प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की कब्जा दिलाया जाने कृषि आराजियात की डिक्री जारी कराई जावें कि वाद पत्र की चरण संख्या 01 एक में वर्णित कृषि आराजी नम्बर 337/269 रकबा 0.3541 हैक्टेयर भूमि की उत्तर पूर्व दिशा में लगभग 0. 1134 हैक्टेयर (09 बिस्वा) पर अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है, जिससे प्रतिवादीगण का कब्जा हटाया जाकर जरिए पुलिस इमदाद के कब्जा बादी को दिलाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध कराया जावें कि वादी की आराजी नम्बर 337/269 रकबा 0.3541 के उपयोग—उपभोग व कास्त करने में किसी प्रकार की बाधा व रूकावट न स्वयं उत्पन्न करें न अन्य से करावें, मौके से बेदखल नही करें, प्रतिवादीगण अवैध रूप से अतिक्रमण कर कर रखा है। जिससे प्रतिवादीगण का कब्जा हटाया जाने हेतु निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादी का वादपत्र पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए। नियत दिनांक को प्रतिवादी संख्या 01 उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी ग्राम सबलपुरा पटवार हलेड भू0अ0नि0क्षैत्र सुवाणा सम्वत 2070—73 जमाबन्दी वर्ष 2077 खाता संख्या 45 की प्रमाणित प्रतिलिपि आराजी नम्बर 337/269 क्षैत्रफल 0.3541 हैक्टेयर खातेदार जोधा पुत्र सवाईराम जाट के नाम की पेश की गयी है। इस प्रकार वादी आराजी नम्बर 337/269 का खातेदार दर्ज रेकार्ड है। इसके साथ ही उक्त आराजी की नक्शा ट्रेस की फोटोप्रति संलग्न की है। आराजी नम्बर 337/269 पर विपक्षी संख्या 01 के द्वारा बाडा बनाकर कब्जा कर रखा है जिसके सम्बन्ध में मौका पर्चा पटवारी हल्का हलेड भू0अ0नि0 सुवाणा का दिनांक 25.06.2024 का पेश किया गया है। इस प्रकार वादी की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 शंकरलाल पिता रामसुख जाट निवासी सबलपुरा का अवैध अतिक्रमण सिद्ध होने से वादी की खातेदारी भूमि से उक्त अतिक्रमण को हटाने हेतु 183 आर0टी0ए0 के तहत डिक्री विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 जारी की जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतएव्

आदेश

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 व 188 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम सबलपुरा पटवार हल्का हलेड के आराजी नम्बर 337/269 रकबा 0.3541 हैक्टेयर भूमि वादी की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 01 के अवैध अतिक्रमण क्षैत्रफल 0.1077 हैक्टेयर से प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा हटाने के आदेश तहसीलदार भीलवाडा को प्रदान किये जाते है एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 इस आशय की जारी की जाती है कि वादी की खातेदारी आराजी नम्बर 337/269 के उपयोग—उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें न ही अन्य से कराई जावें। तहसीलदार भीलवाडा अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो प्राप्त कर कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का उपयोग करते हुये प्रतिवादी संख्या 01 का अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावें। खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करें, तदनुसार डिक्री जारी करें।

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
भीलवाडा

वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 130/2021

दायर दिनांक 22.12.2021

निर्णय दिनांक 9.5./2024

उनवान

1. जोधा पिता सवाईराम जाट निवासी सबलपुरा तहसील व जिला भीलवाडा

बनाम — — वादी

1. शंकरलाल पिता रामसुख जाट निवासी सबलपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

— —प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. वादी अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित।
2. विपक्षी सं. 01 उपस्थित नहीं।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाया जाने कृषि आराजियात व स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की और से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 01 उपस्थित नहीं। प्रकरण में – इस वाद में तारीख 9./.5./.2024 पीठासीन अधिकारी अव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री दी जाती है :–

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 व 188 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 इस आशय की जारी की जाती है कि के ग्राम सबलपुरा पटवार हल्का हलेड के आराजी नम्बर 337/269 रकबा 0.3541 हैक्टेयर भूमि वादी की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 01 के अवैध अतिक्रमण क्षैत्रफल 0.1077 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा हटाने के आदेश तहसीलदार भीलवाडा को प्रदान किये जाते एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 इस आशय की जारी की जाती है कि वादी की खातेदारी आराजी नम्बर 337/269 के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें न ही अन्य से कराई जावें। तहसीलदार भीलवाडा अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो प्राप्त कर कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का उपयोग करते हुये अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावें।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा